

बिहार सरकार  
उद्योग निदेशालय

पत्रांक ..... /

पटना, दिनांक .....

सं० सं०-5/उ०नि०ब० (विविध/CFMS) 01/2018

प्रेषक,

उद्योग निदेशक,  
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी।

महाप्रबंधक, सभी जिला उद्योग केन्द्र, बिहार।

सहायक उद्योग निदेशक(लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना।

सहायक उद्योग निदेशक(तकनीकी), तकनीकी विकास निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

वरीय लेखा पदाधिकारी, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, बिहार, पटना।

प्रशाखा पदाधिकारी, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ (हस्तकरघा), राजेन्द्रनगर, पटना एवं सहायक निबंधक,

बुनकर सहयोग समितियाँ, गुलजारबाग, पटना-800008

सहायक उद्योग निदेशक(रेशम), पूर्णिया, पटना, मुजफ्फरपुर एवं भागलपुर।

उप विकास पदाधिकारी(वस्त्र), गया एवं भागलपुर।

प्राचार्य, बिहार रेशम एवं वस्त्र संस्थान, नाथनगर, भागलपुर।

विषय : CFMS प्रणाली के अंतर्गत उत्पन्न समस्याओं के निराकरण के संबंध में।

प्रसंग :- वित्त विभाग का पत्रांक 6147, दिनांक 24.07.19 तथा उद्योग विभाग के ज्ञापांक 3347, दिनांक 31.07.19

महाशय,

उपर्युक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र के आलोक में कहना है कि दिनांक 01.04.19 से CFMS प्रणाली का क्रियान्वयन किया गया है। CTMIS से CFMS प्रणाली में परिवर्तन होने के फलस्वरूप कई प्रकार की समस्याएँ दृष्टिगोचर हुईं एवं वित्त विभाग द्वारा मुख्यालय स्तर पर CFMS WAR ROOM को भी कार्यरत किया गया है। क्षेत्रीय स्तर पर CFMS से संबंधित समस्याओं के निराकरण हेतु सभी कोषागारों में TCS द्वारा Resource Person/Hand Holding Staff उपलब्ध कराया गया है।

अतः अनुरोध है कि CFMS से संबंधित समस्याओं के निराकरण हेतु TCS द्वारा उपलब्ध कराये गये Resource Person/Hand Holding Staff से संबंधित कोषागारों में सम्पर्क किया जाय। इसके लिए मुख्यालय से पत्राचार करने की आवश्यकता नहीं है। इस संबंध में वित्त विभाग के संलग्न पत्र के अनुरूप कार्रवाई की जाय।

अनुलग्नक :- यथोक्त।

विश्वासभाजन

हो/

उद्योग निदेशक  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक: 3286/

पटना, दिनांक 26.8.19

प्रतिलिपि :- आईटी0मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

26/8/19  
उद्योग निदेशक  
बिहार, पटना।